न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

निग/2816/II/15

TWENTY RUPEES

श्रीमती श्रद्धा वाजपेयी पत्नी श्री दिनेशानन्द वाजपेयी, निवासी ग्राम गढ़ी तहसील गुढ़, जिला रीवा म.प्र. ---- निगरानीकर्ता/आवे.

बनाम

म.प्र. शासन --- गैर निग./अना.

प्रस्तुत किये जाने निगरानी बावत निरस्त किये जाने जाने आदेश दिनांक 16.4.2015 प्र.क्र. 23/63/2013-2014 पारित आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढ़ तह.गुढ़ जिला रीवा म.प्र.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

01- अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.4.2015 विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02- यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम गढ़ी में स्थित आराजी क्रमांक 790/1, 790/2, 790/3, 790/4 में नक्शे के बटे नम्बरों में संशोधन किये जाने का आवेदन दिया था जिस पर गहराई से अवलोकन न कर अधीनस्थ न्यायालय ने दि. 16.4.15 को निरस्त कर दिया है जो विधि प्रक्रिया के विपरीत है इसलिये निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

03- यह कि उपरोक्त आराजी नम्बरों के स्थान पर पटवारी व आर.आई. द्वारा 790/5 का नक्शे में उल्लेख कर दिया गया है जिसे संशोधित

....2//

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2816-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	प्रकरण में मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने, और अभिलेख देखे। आवेदक की ओर से मुख्य वाद बिन्दु यह है कि उसके खसरे नम्बरों 790/1,2,3,4 की पहले नक्शे पर तरमीम थी, जिसपर गोला लगाकर अन्य व्यक्ति (आपत्तीकर्ता रामप्रकाश) की भूमि का क्र. 790/1ख लिख दिया गया। तहसीलदार-गुढ़ ने आक्षेपित आदेश दि. 16-4-15 से, यह लिखते हुए कि "मूल नक्शा 790/1,2,34 के स्थान पर फटा है, और डिजिटल नक्शे में ख. नं. 790 में मात्र 790/1,2,34 बटा नम्बर अंकित हैं, उनकी कोई सीमा अंकित नहीं है," राजस्व निरीक्षक को यह निर्देश देते हुए कि वे "भूमि की मौके पर कब्जा अनुसार नक्शा तरमीम करें," प्रकरण समाप्त किया है। चूंकि संहिता की धारा 70 में नक्शा तरमीम करने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है, रा.नि. को नहीं, अतः आक्षेपित आदेश से तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को तरमीम करने के निर्देश दिए जाना उपयुक्त नहीं पाया जाता, एवं इस कारण से उनका आदेश दि. 16-4-15 निरस्त किया जाता है।	

[कृ. प. उ.

2

R-2816-II-115 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	साथ ही तहसीलदार गुढ़ को यह निर्देश दिया जाता है कि वे ख.न. 790/1,2,3,4 और 790/5ख तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों/ सरहद्दी कृषकों को अपने स्तर पर सुनवाई का अवसर देते हुए, खसरा प्रविष्टियों एवं रकबों आदि की सही जानकारी के साथ, सुसंगत विक्रय विलेखों और पूर्व के अभिलेखों का आवश्यकतानुसार संदर्भ लेते हुए, और मौके की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए, अपने स्तर से ख.न. 790/1,2,3,4 एवं 790/5ख की नक्शा तरमीम / चौहद्दियों के संबंध में बोलता हुआ निर्णय अभिलिखित करें और नक्शा तरमीम भी करें। आदेश पारित। पक्षकार एवं तहसीलदार-गुढ़ सूचित हो। प्रकरण समाप्त। वा.द.हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	

M